

लचर व्यवस्था सिर्फ कागजी साबित हो रहा प्रतिबंध, जमीनी हकीकत शून्य

सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के कचरे से पटा शहर

शहडोल, नवभारत। नगर की शायद ही ऐसी कोई गली या बस्ती होगी जहाँ प्लास्टिक की पत्नियां शोभा न बढ़ा रही हों, ये पत्नियां जूटन समेत बिखरी पड़ी नजर आ जाएंगी। जबकि लगभग एक दशक पूर्व प्लास्टिक की अमानक पत्नियों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था और उसके भण्डारण, वितरण परिवहन व उपयोग पर दण्ड का प्रावधान किया था।



लेकिन आज तक नगरपालिका शासन के इस निर्णय का पालन नहीं करा सकी। बाजार की दुकानों में सर्रास पत्नियों का उपयोग किया जा रहा है, दुकानदार पत्नियों की छल्ली लगाए बैठे रहते हैं लेकिन नगरपालिका व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अमले द्वारा कोई धरपकड़ नहीं की जाती है। मामों इनके द्वारा दुकानदारों को खुली छूट दे दी गई है। जबकि इस संबंध में निरंतर धरपकड़ की जानी चाहिए।

नगर की बस्तियों में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक की अमानक पत्नियों के कारण बहुत अधिक गंदगी दिखाई पड़ती है। चारों ओर पत्नियों में भरा जूटन व कचरा सड़कों पर फैला रहता है। नालियों

में भी यही पत्नियां टूटी पड़ी हैं। जिससे नालियां चोक हैं। मक्खियां भिनकती रहती हैं, दूर से ही पत्नियों का यत्र-तत्र बिखराव दिखाई पड़ता है। इस कारण बस्तियों में संक्रमण की आशंका बनी रहती है। इसी परेशानी के कारण पत्नियों को प्रतिबंधित किया गया था लेकिन नगरपालिका के निकम्पेपन के कारण आज तक इसका निदान नहीं हो सका।

मवेशियों के लिए घातक हैं पत्नियां इधर उधर खुली जगहों में पत्नियों के पड़े होने एवं इन पत्नियों में सब्जी के छिलके और खाद्य

नहीं हो सकती है। इसका भी यही हाल है, सफाईकर्मी ही नियम तोड़ देते हैं।

अभियान के बाद सुस्त पड़ा प्रशासन

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के निर्देशानुसार नगर पालिका ने एक दो बार अभियान चलाया भी था और बड़े स्टाकिस्टों व दुकानदारों के यहाँ छापा डालकर कई क्विंटल अमानक पत्नियां जप्त की थीं। जागरूकता रैली एवं अभियानों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक लम्बा अर्सा बीत गया इस तरह की फिर कोई धरपकड़ नहीं की गई। जबकि स्टाकिस्टों व दुकानदारों ने पत्नियों का कारोबार चला रखा है। पूर्णतया रोकथाम के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान एवं छापाकार कार्यवाही होनी चाहिए। लोगों को सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के बहिष्कार हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए साथ ही जुर्माने आदि का प्रावधान भी लागू किया जाए।



ऐप में सावधानी पूर्वक एवं सत्यता के साथ दर्ज करें जानकारी

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के कार्यों का किया निरीक्षण

शहडोल। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल संजीव श्रीवास्तव ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिला मुख्यालय के मतदान केंद्र 161, 162, 188 एवं 189 एवं 193 में किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित बीएलओ को निर्देश दिए कि एसआईआर के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें तथा ग्रैडिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें।

ताकि ग्रैडिंग में सुधार हो सके

उन्होंने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त गणना पत्रक को बीएलओ ऐप में शत प्रतिशत दर्ज कराएं, जिससे शहडोल जिले की ग्रैडिंग में सुधार हो सके। बी.एल.ओ. ऐप में सावधानी पूर्वक एवं सत्यता

के साथ जानकारी दर्ज करें तथा निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त पहचान पत्र भी अपने साथ अवश्य रखें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अपने समक्ष बीएलओ ऐप में गणना पत्रक में प्राप्त डाटा को दर्ज भी कराया एवं मतदाताओं की संख्या, गणना पत्रक वितरण की स्थिति सहित अन्य जानकारीयां भी संबंधित बीएलओ से प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन पर्यवेक्षक संजय खरे, सतीश पटेल सहित संबंधित बीएलओ उपस्थित रहे।



वाहन व अनाज सहित 5 आरोपी रीवा से गिरफ्तार

सोसायटी से हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा

ब्योहारी, नवभारत। देवलौद पुलिस ने दो सोसायटी जनकपुर और धरी न. 2 में गेहूँ और चावल की बड़ी मात्रा में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोसायटी से चोरी गये गेहूँ चावल सहित वारदात में उपयोग किये गये वाहन को भी जप्त किया है।

सुराग न लगने पर पुलिस ने तकनीकी और परंपरागत दोनों तरीकों से विवेचना को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में 7-8 नवम्बर की रात सोसायटी धरी न. 2 में ताला तोड़कर 127 बोरी गेहूँ और 57 बोरी चावल, कुल मूल्य लगभग 2,57,600 चोरी कर लिए गए।

फूटेज के आधार आरोपियों की हुई पहचान

लगातार दो बड़े वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों प्रकरणों की संयुक्त रूप से गहन विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त वाहन को चिन्हित किया जिसके फूटेज मिलने पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रीवा जिले के विभिन्न

स्थानों पर दबिश देकर पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में नसीम उर्फ अमन खान पिता जावेद खान उम्र 21 वर्ष निवासी डेकहा रीवा, रोहित सिंह पटेल पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी करहिया थाना चोरहटा रीवा, राजेश पटेल पिता रामराज पटेल उम्र 27 वर्ष निवासी डेकहा वाई 5 रीवा, बंटी उर्फ रजनीश दाहिया पिता मुन्ना दाहिया उम्र 29 वर्ष निवासी डेकहा रीवा, एक बाल अपचारी, जिला रीवा शामिल है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने दोनों सोसायटियों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।

10 लाख का माल किया बरामद पुलिस से जानकारी देते हुए बताया कि वे पहले विभिन्न सोसायटियों की रेकी करते थे और बाद में बड़ी मात्रा में अनाज चोरी कर उसे बेच देते थे। देवलौद पुलिस ने आरोपियों से कुल 134 बोरा गेहूँ 67 बोरी चावल और चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। बरामद मशरूका की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है।

23 औरनेक्स कफ सिर्फ के साथ आरोपी धराराया



पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से बिक्री हेतु रखी नशीली सिरफ को किया जप्त

ब्योहारी। थाना क्षेत्र में खनिज का अवैध उतखन, नशा एवं अन्य अवैध कारोबार बड़े ही जोर सौर से चल रहा था किन्तु जब से थाना ब्योहारी की कमान प्रशिक्षु डीएसपी श्रुषभ छारी को मिला है तभी से उच्चाधिकारियों के निर्देशन में लगातार खनिज और नशा के खिलाफ तबतोड़ कार्यवाही करते हुए प्रतिदिन नित नये खुलासा किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में 16 नवंबर को प्रशिक्षु थाना प्रभारी डीएसपी श्रुषभ छारी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ कार्यवाही में उ.नि. मोहन पड़वार,

प्र.आर महेन्द्र पाल शुक्ला, नरेन्द्र उपाध्याय, अमर सिंह, धुवेन्द्र सिंह, आर. गंगा सागर गसा, आर. जावेद एवं म.आर. माधु सिंह ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी श्रुषभ छारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रियुष उर्फ निक्की शुक्ला पिता लक्ष्मीकांत शुक्ला फारेस्ट रेस्ट हाउस ब्योहारी के पास का रहने वाला है वो अपने घर में अवैध रूप से बिक्री हेतु नशीली कफ सिरफ छुपा कर रखा हुआ है।

आरोपी ने नशीली कफ सिरफ बिक्री हेतु अवैध रूप से घर में छुपाये जाने की बात कबूल की गयी एवं तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कोडिन युक्त 23 नग औरनेक्स कफ सिरफ बरामद किये गये। आरोपी के पास प्रतिबंधित कफ सिरफ रखे जाने संबंधी किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं पाया गया। प्रत्येक कफ सिरफ की क्रोडिन 500 रूपये होने से कुल मशरूका 11500/- रूपये का नशीली पदार्थ जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण क्रायम कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

बढ़ती ठण्ड के कारण विद्यालयों का संचालन अब प्रातः 9 बजे से

शहडोल। जिले में तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, मान्यता प्राप्त सी.बी.एस.ई तथा आई.सी.एस.सी. सहित समस्त बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों के खुलने का समय प्रातः 09:00 बजे से नियत किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय का संचालन प्रातः 09:00 बजे या उसके पश्चात् होता है तो समय यथावत रहेगा।

जिला अस्पताल में चलाया सफाई अभियान

कटनी। नगर को साफ और स्वच्छ रखने, नगर निगम द्वारा लगतार सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। बीते रविवार को नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों सहित जिला अस्पताल परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान अंतर्गत सफाई मित्रों के माध्यम से जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार, वाडों के बाहरी क्षेत्र, पार्किंग स्थल के पास सहित परिसर के विभिन्न स्थलों, पहुँच मार्गों की व्यवस्थित सफाई कराई गई। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सफाई कराई गई।

स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को संवेदनशीलता के साथ प्रदान करें स्वास्थ्य सेवाएं

सीएमएफओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहपारू का किया औचक निरीक्षण

शहडोल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. राजेश मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहपारू का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध दवाओं तथा वितरण की समीक्षा की।



उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी डा. यूबी सिंह को निर्देश दिए की शासन के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता

सुनिश्चित करें तथा स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की

समीक्षा करते हुए स्टाफ को समय पर उपस्थित होकर पूरी संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवाएं प्रदान के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.

राजेश मिश्रा ने चिकित्सालय के विभिन्न वाडों तथा साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया। फार्मासिस्ट को बुलाकर एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन वाडों में उपलब्ध कराई।

सावधान

डिजिटल अरेस्ट

धोखे से पैसा ऐंठने का एक तरीका है!

ऐसे कॉल्स से सावधान रहें!

- ❌ परेशान न हों - डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती
- ❌ साझा न करें - निजी/वित्तीय जानकारी किसी को न बताएं
- ❌ भुगतान न करें
- ✅ cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या सहायता के लिए 1930 पर कॉल करें

जानकार बनिए, सतर्क रहिए!

आरबीआई कहता है...

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in